न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना

बइजलास – जे.पी. बैरवा आर.ए.एस.
मुकदमा नं. 214/2021

प्रार्थीगणः–

1. अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल गनी जाति सिसोदिया
2. हाजी उस्मान पुत्र अब्दुल गनी जाति सिसोदिया
3. जावेद हुसैन पुत्र अब्दुल गनी जाति सिसोदिया
4. मुमताज बेगम पुत्री अब्दुल गनी जाति सिसोदिया निवासी मोजुदा वार्ड 37 दो मस्जिद रोड मकराना तहसील मकराना जिला नागौर

अप्रार्थी :–

1. तहसीलदार मकराना (लैण्ड होल्डर) मकराना

वकील प्रार्थी– श्री अकबर अली उपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के दादा फरीद पुत्र हाजी अल्लाहरख सिसोदिया व रज्जाक पुत्र हाजी अल्लारख जी सिसोदिया मकराना ने खातेदार कल्याणसिंह पुत्र मुकनसिंह राजपूत निवासी गुणावती से खेत खसरा नं. 3 का रकबा 135.12 बीघा का कय किया गया जो जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 14.11.1958 को कय किया जिसकी रजिस्ट्री उप पंजीयक परबतसर के पट्टा करायी गयी माफिक रजिस्टर्ड बेचान दोनो भाईयो के नाम म्युटेशन होकर खातेदारी स्वीकृत हुई जो लगातार उनकी हयाती तक रही है। हमारे दादा फरीद की मृत्यु के बाद जो म्युटेशन हुआ उसमे मेरे पिता अब्दुल गनी का घर का नाम बोलता नाम छोटू बाबु था वो राजस्व अधिकारियो ने दर्ज कर दिया जबकि उसका वास्तविक अब्दुल गनी है। हम प्रार्थीगण के सभी दस्तावेजात जिसमें राशन कार्डआधार कार्डपेन कार्ड सभी में वारिशान की वल्दियत में अब्दुल गनी ही दर्ज है हालांकि एक पुत्र के उर्फ नाम भी दर्ज है हम अब्दुल गनी क वारिशान अपने सभी दस्तावेज सही करवाने चाहते है जिसकी पृथक से प्रकिया की जा रही है। प्रार्थी के पिता अब्दुल गनी का इन्तकाल दिनांक 23.01.2015 को मकराना में हो चुका है जिसके हम अब्दुल हमीद, हाजी उस्मान, जावेद हुसैन पुत्र अब्दुल गनी, मुमताज बेगम पुत्री अब्दुल गनी जाति सिसोदिया है। उपरोक्त वारीशान हमारे पिता अब्दुल गनी जिनका बोलता नाम छोटू बाबू है जो दोनो एक ही व्यक्ति है की मृत्यु पर फोतगी नामान्तकरण वारीशान की हैसियत से दर्ज करवाना चाहते है लेकिन राजस्व रेकर्ड में जो गलती हुई है को दुरूस्त करवाना चाहते है ताकि हमारे दस्तावेज के मुताबिक ही उक्त राजस्व रेकर्ड में शुद्धि हो जावे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम गुणावती के खसरा नं. 3 के रकबे में संयुक्त खातेदार छोटू बाबू पुत्र फरीद जाति सिलावट निवासी मकराना के स्थान पर उनका वास्ताविक सही नाम अब्दुल गनी दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मकराना द्वारा जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो शा.मि. की गई। तहसीलदार मकराना द्वारा पत्रांक राजस्व/2022/2203 दिनांक 22.07.2022 द्वारा पेश की जाकर ग्राम गुणावती के खसरा नम्बर 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल रकबा 21.9500 हैक्ट. में छोटूबाबू पुत्र फरीद हिस्सा 3383/131700 जाति सिलावट सा. मकराना की सहखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण में कोई राजहीत नही होने बाबत पेश की गई। वकील प्रार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल बेचाननामा रजिस्टर्ड दिनांक 14.11.1958, नकल हक तर्क नामा दि. 01.03.2021, प्रमाणित नकल खसरा संख्या 3 मकराना संवत् 2076, नकल खतौनी जमाबन्दी, नकल राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधारकार्ड की पेश की जो शा.मि. किया गया। साक्ष्य में गवाह अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल गनी सिसोदिया, जावेद हुसैन पुत्र अब्दुल गनी सिसोदिया, मोहम्मद उमर पुत्र गुलाम फरीद के शपथ पत्र पेश हुये बयान कलमबद्ध किये जाकर शा.मि. किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मकराना (नागौर)

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी का आद्योपन्त अध्ययन एवं मनन किया। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 पार्षद वार्ड नं. 37 नगरपरिषद मकराना का प्रमाण पत्र, हकतर्कनामा दिनांक 26.02.2021, राशनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम छोटा बाबू उर्फ अब्दुल गनी अंकित किया गया है इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि मौजा मकराना के खसरा संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 में छोटूबाबु पुत्र फरीद हिस्सा 3383 / 131700 जाति सिलावट सा. देह के स्थान पर छोटूबाबु उर्फ अब्दुल गनी पुत्र फरीद हिस्सा 3383 / 131700 जाति सिलावट सा. देह अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मकराना को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 8.1.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

8/1/24

उपखण्ड अधिकारी
मकराना

उपखण्ड अधिकारी
मकराना (नागौर)